



2025:RJ-JP:45260

[2025:RJ-JP:45260]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11154/2025

Rajkumar Dhayal S/o Shri Ramnarayan Dhayal, Aged About 25 Years, R/o Village Tanki Dhani, Mandabhopawas, Police Station Kalwar, Jaipur West (Raj.) (Presently Confined Central Jail Jaipur.)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. J.R. Chaudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

11/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 278/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 308, 143 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, लंबे समय से अभिरक्षा में है, परिवादी पक्ष ने प्रार्थी/अभियुक्त के रेस्टोरेंट पर उनके साथ मारपीट की, जिसकी क्रॉस एफ. आई.आर. उनके द्वारा दर्ज करवायी गयी है, घटना में प्रार्थी/अभियुक्त के परिवारजनों के भी चोटों आयी हैं, प्रकरण में आहत राजकुमार यादव के सिर



पर प्राणघातक चोट होना बताया गया है, चोट धारदार हथियार से कारित हुई या कुंद हथियार से, यह नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है, सहअभियुक्त बंशी की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अन्य सहअभियुक्तगण अशोक कुमार व कार्तिक से बरामदगी हुई थी, इस आधार पर उनके जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये गये थे, प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई और उसने आहत राजकुमार के सिर पर कोई चोट कारित की हो, ऐसा अन्वेषण के दौरान सामने नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर आहत राजकुमार के प्राणघातक चोट कारित करने का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में आहतगण राजकुमार, सतपाल व ओमप्रकाश के बयानों में यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने किस व्यक्ति के शरीर पर किस वस्तु से चोट कारित की। प्रार्थी/अभियुक्त ने आहत राजकुमार के सिर पर प्राणघातक चोट पहुंचायी हो, इस तथ्य को किसी भी साक्षी ने अपने बयानों में नहीं बताया है, ना ही यह तथ्य अनुसंधान में सामने आया है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्तागी भी नहीं करवायी



गयी है, उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। सहअभियुक्त बंशी का एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6950/2024 आदेश दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजकुमार धायल पुत्र रामनारायण धायल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J